

बिहार सकरार  
योजना एवं विकास विभाग  
(अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)

पत्रांक-स्था02/02-04/2015 06 पटना, दिनांक- 29.06.17

प्रेषक,

पूनम(भा०प्र०से०)

निदेशक।

सेवा में,

जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, रोहताल, कैमूर (भभुआ), गया, जहानाबाद, अरबल, नवादा, औरंगाबाद, मुंगेर, लेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, भागलपुर, बांका, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी चम्पारण, प० चम्पारण, त्रैशाली, सारण, सिवान एवं गोपालगंज।

**विषय:-** मुख्यशीर्ष 3454 के राज्य स्कीम उपशीर्ष 0101- समग्र सांख्यिकी विकास योजना शीर्ष से जिलान्तर्गत प्रखंडों में वर्षामापक यंत्रों का अधिष्ठापन तथा रख-रखाव तथा मरम्मति आदि पर क्रय हेतु ₹5,00,000/- (पाँच लाख रूपये) का आबंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभाग ने अपने पत्रांक-428/वि० दिनांक-31.03.17 के द्वारा सूचित किया है कि बिहार विधान मंडल से पारित वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए बिहार विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2017 पर महामहिम राज्यपाल द्वारा 31.03.2017 को स्वीकृति प्रदान की जा चूकी है।

2. उक्त पत्र के कंडिका 3 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए प्रावधानित राशि की सीमा तक व्यय किया जा सकता है।
3. तदनुसार उक्त पत्र के कंडिका-3 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2017-18 में संलग्न विवरणी के अनुसार व्यय करने के लिए राशि आवंटित की जाती है।
4. संलग्न विवरणी मुख्य शीर्ष-3454 जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, उप मुख्य शीर्ष 02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, लघु शीर्ष 205- राज्य सांख्यिकी एजेंसी, समूह शीर्ष-राज्य योजना, उप शीर्ष-0101-समग्र सांख्यिकी विकास योजना, विषय शीर्ष-13-01कायलिय व्यय के अन्तर्गत आवंटित की जा रही है, जिसका मांग सं०-35 एवं विपत्र कोड-35-3454022050101 है।
5. संलग्न विवरणी के क्रमांक-1 से 38 तक के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी होंगे।
6. राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा संबंधित आवंटन आदेश की संख्या तथा तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर विपत्र पर निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र विपत्र पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है।
7. प्रत्येक परिस्थिति में मद्वार व्यय आवंटित राशि के अधीन रखी जाय। इसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
8. व्यय का मासिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह के 05 तारीख तक अनिवार्य रूप से निदेशालय स्थित बजट शाखा को उपलब्ध कराया जाय, अन्यथा अगला आवंटन,

*[Signature]*


व्यय प्रतिवेदन के अप्राप्त रहने की स्थिति में रोक दिया जायेगा और इसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होगें।

9. आवंटित राशि को नियमानुसार व्यय वित्त विभाग के पत्र संख्या-2561 दिनांक-17.04.1998 एवं समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत अन्य आदेशों के आलोक में किया जायेगा।
10. आवंटित राशि स्वीकृतादेश संख्या-1288 दिनांक 21.06.2017 के आलोक में जिलान्तर्गत प्रखंडों में वर्षामापक यंत्रों का अधिष्ठापन तथा रख-रखाव के लिए केन्द्रों में आंशिक मरम्मति/अधिष्ठापन हेतु नियमानुसार वित्तीय वर्ष 2017-18 में राशि विकलनीय है।

  
बजट सहायक

  
प्रशाखा पदाधिकारी

  
सहायक निदेशक

विश्वासभाजन  
  
निदेशक

ज्ञापांक- 06


दिनांक- 29.06.17

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, (लेखा एवं हक), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ज्ञापांक- 06

दिनांक- 29.06.17

प्रतिलिपि:- सभी कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


  
निदेशक

ज्ञापांक- 06

दिनांक- 29.06.2017

प्रतिलिपि:- योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग(बजट शाखा)

2. उप निदेशक (योजना), उप निदेशक (कृषि) एवं उप निदेशक (प्रकाशन) अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना
3. कार्यालय लेखापाल(दो प्रतियों में)/संबंधित कार्यालय परिचारी, निर्गत शाखा को गार्ड फाईल में चिपकाने हेतु एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
4. श्री सुदामा कुमार, आई०टी०मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग, (अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय) बिहार, पटना को निदेश दिया जाता है कि इस आवंटन को निदेशालय के साइट पर अपलोड करें।

  
निदेशक

आबंटन विवरणी

मुख्य शीर्ष-3454-जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी,  
205-राज्य सांख्यिकी एजेंसी, 0101-समग्र सांख्यिकी विकास योजना शीर्ष के अंतर्गत  
वित्तीय वर्ष 2017-18 का आबंटन विवरणी । मांग सं0-35 एवं विपत्र  
कोड-35-3454022050101

क्र. सं.	कार्यालय का नाम जिन्हें आबंटन दिया जा रहा है।	13-01 कार्यालय व्यय	13-04 विद्युत प्रभार	14-01 किराया महसूल एवं कर	20-03 प्रशिक्षण व्यय	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7

**जिला सांख्यिकी कार्यालय**

1	पटना	20000	-	-	-	20000
2	नालन्दा	20000	-	-	-	20000
3	भोजपुर	10000	-	-	-	10000
4	बक्सर	10000	-	-	-	10000
5	रोहतास	15000	-	-	-	15000
6	कैमूर(भभुआ)	10000	-	-	-	10000
7	गया	20000	-	-	-	20000
8	जहानाबाद	10000	-	-	-	10000
9	अरबल	10000	-	-	-	10000
10	नवादा	10000	-	-	-	10000
11	औरंगाबाद	10000	-	-	-	10000
12	मुंगेर	10000	-	-	-	10000
13	बेगूसराय	15000	-	-	-	15000
14	खगड़िया	10000	-	-	-	10000
15	लखीसराय	10000	-	-	-	10000
16	शेखपुरा	10000	-	-	-	10000
17	जमुई	10000	-	-	-	10000
18	भागलपुर	15000	-	-	-	15000
19	बांका	10000	-	-	-	10000
20	पूर्णियाँ	10000	-	-	-	10000
21	अररिया	10000	-	-	-	10000
22	किशनगंज	10000	-	-	-	10000
23	कटिहार	15000	-	-	-	15000
24	सहरसा	10000	-	-	-	10000
25	सुपौल	10000	-	-	-	10000
26	मधेपुरा	10000	-	-	-	10000
27	दरभंगा	15000	-	-	-	15000

क्र. सं.	कायालिय का नाम जिन्हें आवंटन दिया जा रहा है।	13-01 कायालिय व्यय	13-04 विद्युत प्रभार	14-01 किराया महसूल एवं कर	20-03 प्रशिक्षण व्यय	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7
28	मधुबनी	20000	-	-	-	20000
29	समस्तीपुर	20000	-	-	-	20000
30	मुजफ्फरपुर	15000	-	-	-	15000
31	सीतामढ़ी	15000	-	-	-	15000
32	शिवहर	10000	-	-	-	10000
33	पूर्वी० चम्पारण	20000	-	-	-	20000
34	प० चम्पारण	15000	-	-	-	15000
35	वैशाली	15000	-	-	-	15000
36	सारण	20000	-	-	-	20000
37	सिवान	15000	-	-	-	15000
38	गोपालगंज	10000	-	-	-	10000
	कुल योग:-	500000	-	-	-	500000

(पाँच लाख रुपये) मात्र।

सहायक

पदाधिकारी

निदेशक

अर्थ एवं सां० निदेशालय